कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–वित्त / बजट) मध्यप्रदेश, भोपाल

PHONE NO./FAX NO. 0755 2674286, E-mail - apccfbgt@mp.gov.in

क्रमांक / सी.ए.जी. / पी.ए.सी. / 2019 / 5388 भोपाल,दिनांक 6-11-19

प्रति,

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक,
   (क्षेत्रीय / अनुसंधान विस्तार / कार्य आयोजना / वन्यप्राणी)
2. समस्त प्राचार्य,
   वन विद्यालय।
3. समस्त वनमंडलाधिकारी,
   (सामान्य / उत्पादन)
   मध्य प्रदेश।

विषयः–अधिकारियों / कर्मचारियों के सेवा निवृत्ति के दौरान नो ड्यूज / नो इंक्वायरी सर्टिफिकेट जारी करने बाबत्।

संदर्भः–मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक / एफ–20–07 / 2015 / 10–2, दिनांक 01.10.2019

— 0 —

विषयांतर्गत मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसकी छायाप्रति संलग्न प्रेषित है। जिसके द्वारा अधिकारियों / कर्मचारियों के सेवा निवृत्ति के दौरान नो ड्यूज / नो इंक्वायरी (अमांग / अजांच) सर्टिफिकेट जारी करने के पूर्व आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये है।

अतः तत्संबंध में निर्देशित किया गया है कि शासन निर्देश का कढ़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

6/11/19

(विभाष कुमार ठाकुर)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त / बजट)
मध्य प्रदेश, भोपाल

पृ.क्र. / सी.ए.जी. / पी.ए.सी. / 2019 / 5389 भोपाल, दिनांक 6-11-19

प्रतिलिपिः–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन–1 / प्रशासन–2) मध्य प्रदेश की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि शासन निर्देश का अपने स्तर भी कढ़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी) मध्य प्रदेश की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि शासन निर्देश को विभागीय वेबसाइड में प्रदर्शन हेतु अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

6/11/19

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त / बजट)
मध्य प्रदेश, भोपाल

D/reenusaxena2016/PAC/Latter

मध्यप्रदेश शासन

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक / एफ 20–07 / 2015 / 10–2 भोपाल, दिनांक 01 / 10 / , 2019

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
वन बल प्रमुख
भोपाल।

विषय :– अधिकारियों / कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के दौरान नो ड्यूज / नो इंक्वायरी सर्टिफिकेट जारी करने बाबत्।

विषयांतर्गत लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों में उल्लेखित कंडिकाओं के उत्तर तैयार करने के दौरान कई बार यह देखने में आया है कि ऑडिट कंडिकाओं के दौरान उठाई गई आपत्ति में अंकित वसूलियां इसलिए वसूल नहीं हो पाती क्योंकि कई अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके होते है।

2/ नो ड्यूज नो इंक्वायरी [अमांग / अजांच] जारी करते वक्त यह नहीं देखा जाता है कि उस अधिकारी के विरूद्ध सी.ए.जी. / पी.ए.सी. पैरा में उल्लेखित कोई वसूलियां तो नहीं है।

3/ अतः समग्र परीक्षण करने के उपरांत यह निर्णय लिया जाता है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षण कार्यालय द्वारा प्रेषित किये जा रहे नो ड्यूज / नो इंक्वायरी सर्टिफिकेट में इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख हो कि उस अधिकारी के पिछले कार्यकाल के दौरान जारी किये गए सी.ए.जी. / पी.ए.सी प्रतिवेदन में उस अधिकारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही / वसूली तो शेष नहीं है। इस तरह का प्रमाण–पत्र कर्मचारियों के प्रकरण में वनमण्डलाधिकारी द्वारा तथा राज्य वन सेवा / भारतीय वन सेवा अधिकारियों के प्रकरण में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त / बजट) के हस्ताक्षर से जारी कर, प्रेषित किये जा रहे नो ड्यूज / नो इंक्वायरी सर्टिफिकेट के साथ संलग्न किया जाए।

(ए.पी. श्रीवास्तव)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ. क्रमांक / एफ 20–07 / 2015 / 10–2 भोपाल, दिनांक 01 / 10 / , 2019

प्रतिलिपिः–

1. समस्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक की ओर सूचनार्थ। (प्रशासन–1)
2. समस्त वृत्त प्रभारी मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
3. अनुभाग अधिकारी म.प्र. शासन वन विभाग शाखा–04 की ओर सूचनार्थ पेंशन प्रकरण निराकरण के दौरान उक्त तथ्य की पुष्टि की जाए।

पेंशन सेल / पेंशन कक्ष

अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

9/10